NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 15-01-2026

विषय सूची

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा उद्यमिता पर राष्ट्रीय अभियान प्रारंभ

ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 जारी

यूजीसी (UGC) द्वारा जाति भेदभाव के खिलाफ नए नियम जारी

रोजगार और सामाजिक प्रवृत्तियाँ 2026 रिपोर्ट: ILO

दिल्ली 'कार्बन क्रेडिट्स' से राजस्व अर्जित करेगी

भारत की स्थिति : भावी समुद्री और अंतरिक्ष जैव-प्रौद्योगिकी

संक्षिप्त समाचार

काशी-तमिल संगम

निर्यात तैयारी सूचकांक (EPI) 2024

जातिया देवी

कुकी-जो(Kuki-Zo) परिषद और केंद्र शासित प्रदेश की मांग

कुरिंजी राजकुमार

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा उद्यमिता पर राष्ट्रीय अभियान प्रारंभ

समाचार में

- ग्रामीण महिलाओं के गैर-कृषि आजीविका को सशक्त बनाने हेतु दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के अंतर्गत एक राष्ट्रीय अभियान उद्यमिता पर शुरू किया गया।
  - इस अभियान का लक्ष्य 50,000 सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों (CRPs) को उद्यम प्रोत्साहन पर प्रशिक्षित करना और 50 लाख स्वयं सहायता समूह (SHG) सदस्यों को उद्यमिता विकास कार्यक्रम (EDP) प्रशिक्षण प्रदान करना है।

ग्रामीण उद्यमिता का महत्व

- **कृषि पर अत्यधिक निर्भरता कम करना:** भारत की 45% कार्यबल कृषि में लगी है, जबकि इसका GDP में योगदान केवल 18% है। गैर-कृषि ग्रामीण उद्यम अतिरिक्त श्रम को समाहित करने में सहायता करते हैं।
- **रोजगार और आय सृजन:** MSMEs भारत के GDP में 30% और निर्यात में 45% योगदान करते हैं। ग्रामीण उद्यम MSME आधार को शहरी क्षेत्रों से बाहर विस्तारित करते हैं।
- **महिला-नेतृत्व विकास:** SHG आधारित उद्यम महिला श्रम बल भागीदारी को बढ़ाते हैं, जो वर्तमान में लगभग 25% है। महिलाओं द्वारा आय पर नियंत्रण पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा परिणामों में सुधार करता है।
- **प्रवास में कमी:** स्थानीय उद्यम मौसमी और अनैच्छिक होने वाले शहरी प्रवास को कम करते हैं।

ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु सरकारी कदम

- **प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP):** KVIC द्वारा लागू, यह नई सूक्ष्म-उद्यमों के लिए परियोजना लागत पर 35% तक सब्सिडी (ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक) प्रदान करता है। बेरोजगार युवाओं और कारीगरों को ₹25 लाख तक के ऋण उपलब्ध कराता है।
- **ASPIRE योजना:** MSME मंत्रालय द्वारा शुरू, यह ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका व्यवसाय इनक्यूबेटरों (LBIs) को ₹1 करोड़ तक की सहायता प्रदान करती है। इसमें बुनियादी ढांचा, कौशल कार्यक्रम और नवाचार समर्थन शामिल है ताकि कृषि-ग्रामीण स्टार्टअप्स को पोषित किया जा सके।
- **लखपति दीदी पहल:** "लखपति दीदी" उन SHG महिलाओं को मान्यता देती है जो चार मौसम/चक्रों में कृषि/गैर-कृषि गतिविधियों के माध्यम से ₹1 लाख+ वार्षिक (₹10,000+ मासिक) घरेलू आय प्राप्त करती हैं।
- **नाबार्ड की भूमिका:** नाबार्ड ग्रामीण गैर-कृषि क्षेत्रों को पुनर्वित्त, बुनियादी ढांचा (जैसे ग्रामीण हाट), SHGs/FPOs के लिए क्षमता निर्माण और MEDPs/LEDPs जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से समर्थन करता है।

ग्रामीण उद्यमिता में चुनौतियाँ

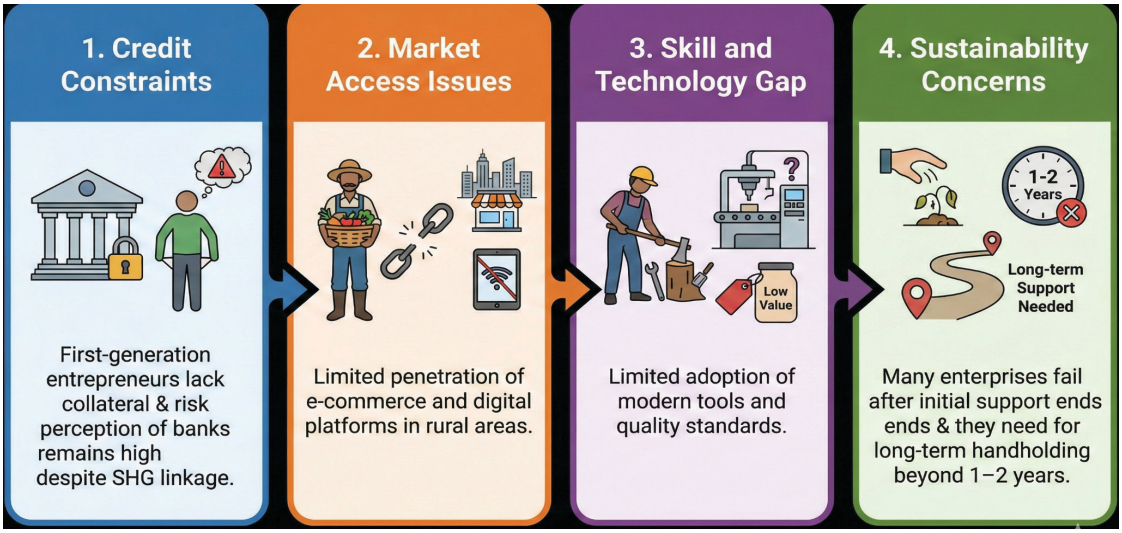

DAY-NRLM के बारे में

- **प्रारंभ:** 2011 (स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (SGSY) से पुनर्गठित)। 2016 में NRLM का नाम बदलकर DAY-NRLM किया गया।
- **नोडल मंत्रालय:** ग्रामीण विकास मंत्रालय
- **वित्त पोषण पैटर्न:** केंद्र प्रायोजित योजना (60:40; पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए 90:10)
- **उद्देश्य:** गरीब ग्रामीण परिवारों को सतत आजीविका और आय वृद्धि तक पहुँच प्रदान कर गरीबी कम करना।
- **मुख्य रणनीति:**
  - ग्रामीण गरीब महिलाओं का सार्वभौमिक संगठन स्वयं सहायता समूहों (SHGs) में
  - क्षमता निर्माण, ऋण तक पहुँच और आजीविका विविधीकरण
- **मुख्य फोकस क्षेत्र:**
  - कृषि आजीविका
  - गैर-कृषि आजीविका और उद्यम
  - वित्तीय समावेशन और सामाजिक सशक्तिकरण

स्रोत: PIB

ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 जारी

समाचार में

- **विश्व आर्थिक मंच (WEF)** ने *ग्लोबल रिस्क्स रिपोर्ट (2026)* का 21वाँ संस्करण जारी किया, जिसमें चेतावनी दी गई कि **भूराजनीतिक-आर्थिक टकराव** प्रमुख शक्तियों के लिए सबसे बड़ा जोखिम है।

2026 के वैश्विक जोखिम

- **भूराजनीतिक-आर्थिक टकराव**: 2026 के लिए शीर्ष जोखिम के रूप में दर्ज। इसमें व्यापार, वित्त एवं प्रौद्योगिकी का "हथियारकरण" शामिल है, जैसे प्रतिबंध और शुल्क (जैसे अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ, चीन द्वारा महत्वपूर्ण खनिजों पर प्रतिबंध आदि)।
- **राज्य-आधारित सशस्त्र संघर्ष**: दूसरा सबसे बड़ा जोखिम, जो यूक्रेन संघर्ष और वेनेज़ुएला व मध्य पूर्व जैसे क्षेत्रों में हालिया अस्थिरता से प्रेरित है।
- **अत्यधिक मौसम**: पर्यावरणीय जोखिम आगामी दशक के लिए शीर्ष प्राथमिकता बने हुए हैं, लेकिन आर्थिक और सैन्य संघर्षों की तात्कालिकता के कारण वे दो वर्षीय दृष्टिकोण में तीसरे स्थान (8%) पर आ गए हैं।
- **सामाजिक जोखिम**: ध्रुवीकरण, गलत सूचना और AI-जनित डीपफेक्स को सामाजिक स्थिरता के लिए बड़े खतरे के रूप में उद्धृत किया गया है, विशेषकर चुनावी चक्रों के दौरान।

भारत के लिए सबसे बड़े जोखिम

- **साइबर सुरक्षा**: भारत के लिए शीर्ष जोखिम के रूप में दर्ज, क्योंकि भारत डिजिटल भुगतान की ओर अधिक बढ़ रहा है।
- **धन असमानता और सामाजिक सुरक्षा जाल**: सुदृढ़ सामाजिक कल्याण योजनाओं की कमी और बढ़ती आय असमानता आंतरिक स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है।
- **आर्थिक बाहरी झटके**: भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों और अंतरराष्ट्रीय टैरिफ से उत्पन्न घरेलू मंदी के प्रति संवेदनशील है।
- **महत्वपूर्ण अवसंरचना और संसाधन सुरक्षा**: रिपोर्ट में "जल सुरक्षा" को संभावित विवाद बिंदु बताया गया है, विशेष रूप से सिंधु नदी बेसिन को भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का केंद्र माना गया है, विशेषतः सिंधु जल संधि के निलंबन के बाद।

निहितार्थ

- वैश्विक व्यापार का विखंडन
- आपूर्ति श्रृंखलाओं का व्यवधान
- उच्च मुद्रास्फीति और विकास मंदी
- सामाजिक अशांति और बहुपक्षवाद में घटता विश्वास

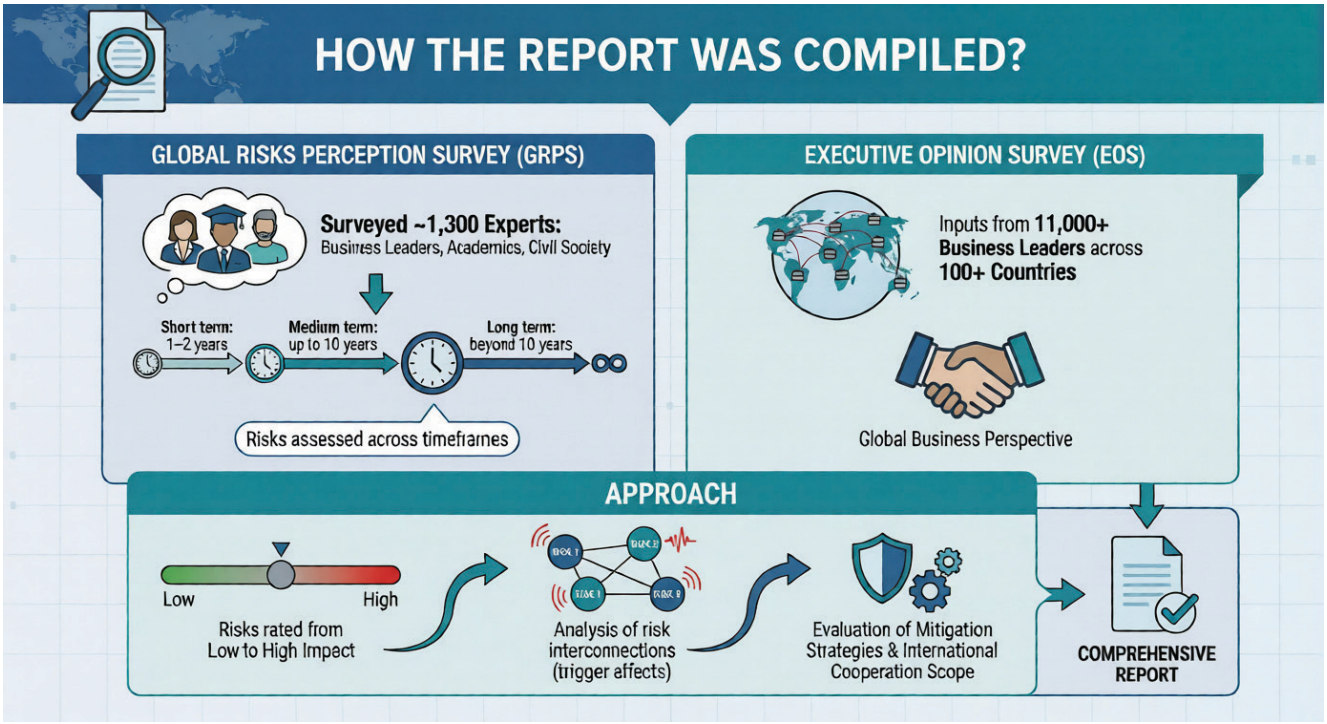

स्रोत: Firstpost

यूजीसी (UGC) द्वारा जाति भेदभाव के खिलाफ नए नियम जारी

संदर्भ

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने देशभर के उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति-आधारित भेदभाव को संबोधित करने के लिए नए विनियम अधिसूचित किए हैं।

प्रारूप से अंतिम विनियम तक का विकास

- **फरवरी 2024 में जारी प्रारूप संस्करण को सार्वजनिक आलोचना का सामना करना पड़ा क्योंकि इसमें:**
  - अन्य पिछड़ा वर्ग (OBCs) को जाति-आधारित भेदभाव के दायरे से बाहर रखा गया था।
  - झूठी शिकायतों को "हतोत्साहित" करने के लिए दंड का प्रस्ताव था, जिससे वास्तविक शिकायतें दर्ज करने में बाधा आ सकती थी।
  - भेदभाव की परिभाषा अस्पष्ट थी।
- **अंतिम विनियमों ने इन चिंताओं को संबोधित किया:**
  - OBCs को स्पष्ट रूप से शामिल किया गया।
  - झूठी शिकायतों से संबंधित प्रावधानों को हटा दिया गया।
  - भेदभाव की परिभाषा का विस्तार किया गया।

नए विनियमों की आवश्यकता

- UGC ने *उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने संबंधी विनियम, 2026* अधिसूचित किए ताकि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में जाति-आधारित भेदभाव के विरुद्ध ढाँचे को सुदृढ़ किया जा सके।
- उच्च शिक्षा में भेदभाव की लगातार रिपोर्टों ने स्पष्ट परिभाषाओं, सुदृढ़ संस्थागत तंत्र और लागू किए जा सकने वाले दंड की आवश्यकता को उजागर किया।

प्रमुख विशेषताएँ

- **जाति-आधारित भेदभाव:** यह विशेष रूप से अनुसूचित जाति (SCs), अनुसूचित जनजाति (STs) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBCs) पर लागू होता है।
  - यह OBCs को औपचारिक रूप से भेदभाव-विरोधी ढाँचे में मान्यता देने का महत्वपूर्ण बदलाव है।

- **भेदभाव की परिभाषा:** भेदभाव में कोई भी अनुचित, भिन्न या पक्षपातपूर्ण व्यवहार शामिल है।
  - भेदभाव के आधारों में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान और विकलांगता शामिल हैं, चाहे व्यक्तिगत रूप से हों या संयोजन में।
  - परिभाषा *इरादे* की बजाय *प्रभाव* पर बल देती है, उन कार्यों को शामिल करती है जो शिक्षा में समानता को निष्फल या बाधित करते हैं।
  - विनियमों ने 2012 के नियमों में वर्तमान विशिष्ट निषेधों को हटा दिया है, जैसे जाति या धर्म के आधार पर अलग शैक्षिक प्रणालियों पर प्रतिबंध।
- **समान अवसर केंद्र (EOCs):** प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान को एक समान अवसर केंद्र (EOC) स्थापित करना अनिवार्य है।
  - **उद्देश्य**: समानता और समान अवसर को बढ़ावा देना।
  - परिसर में सामाजिक समावेशन को प्रोत्साहित करना।
  - EOCs भेदभाव-संबंधी चिंताओं को संबोधित करने के लिए प्राथमिक संस्थागत तंत्र के रूप में कार्य करते हैं।
- **EOCs के अंतर्गत समानता समितियाँ:** प्रत्येक संस्थान को EOC के अंतर्गत एक समानता समिति गठित करनी होगी।
  - **विशेषताएँ:** ये समितियाँ संस्थान प्रमुख की अध्यक्षता में होंगी और इनमें OBCs, विकलांग व्यक्तियों, SCs, STs और महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए।
  - समिति को वर्ष में कम से कम दो बार बैठक करनी होगी ताकि नियमित समीक्षा सुनिश्चित हो सके।
- **रिपोर्टिंग और समीक्षा तंत्र:**
  - EOCs को अपने कार्यों पर अर्धवार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
  - संस्थानों को UGC को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
  - ये रिपोर्टें UGC को समय-समय पर समीक्षा करने और संस्थागत अनुपालन का आकलन करने में सक्षम बनाती हैं।
- **राष्ट्रीय-स्तरीय निगरानी तंत्र:** UGC एक राष्ट्रीय निगरानी समिति गठित करेगा।
  - **संरचना:** वैधानिक पेशेवर परिषदों, आयोगों और नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधि।
  - **कार्य:** विनियमों के कार्यान्वयन की निगरानी करना, भेदभाव के मुद्दों की जांच करना, निवारक और सुधारात्मक उपायों की सिफारिश करना।
    - समिति को वर्ष में कम से कम दो बार बैठक करनी होगी।
- **प्रवर्तन और दंड:** अनुपालन न करने पर UGC कर सकता है:
  - संस्थानों को UGC योजनाओं से वंचित करना।
  - उन्हें डिग्री, दूरस्थ शिक्षा या ऑनलाइन कार्यक्रम प्रदान करने से रोकना।
  - उन्हें UGC की मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थानों की सूची से हटाना।

महत्व

- उच्च शिक्षा में सामाजिक न्याय ढाँचे को सुदृढ़ करता है।
- संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 46 के अंतर्गत जनादेशों के अनुरूप है।
- निगरानी और दंड के माध्यम से जवाबदेही को बढ़ाता है।

निष्कर्ष

- 2026 के विनियम उच्च शिक्षा में समानता और समावेशन को संस्थागत बनाने की दिशा में एक कदम हैं।
- हालाँकि ये मानक कवरेज और प्रवर्तन तंत्र में सुधार करते हैं, लेकिन स्थायी प्रभाव मजबूत निगरानी, पारदर्शी रिपोर्टिंग और औपचारिक अनुपालन से परे वास्तविक संस्थागत प्रतिबद्धता पर निर्भर करेगा।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC)

- 1956 में स्थापित, यह विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को वित्तपोषण प्रदान करता है, शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए दिशा-निर्देश तय करता है और उच्च शिक्षा संस्थानों में अनुसंधान को बढ़ावा देता है।
- **UGC के प्रमुख कार्य:**
  - **विश्वविद्यालयों को मान्यता देना:** यह भारत में विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करता है।
  - **वित्तपोषण:** विकास, अनुसंधान और अन्य शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
  - **मानकों का नियमन:** उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षण, अनुसंधान और बुनियादी ढाँचे में गुणवत्ता मानक तय करता है।
  - **शैक्षणिक विकास को बढ़ावा देना**: विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान, नवाचार और नए पाठ्यक्रमों के विकास को प्रोत्साहित करता है।

स्रोत: TH

रोजगार और सामाजिक प्रवृत्तियाँ 2026 रिपोर्ट: ILO

संदर्भ

- हाल ही में **अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO)** ने अपनी नवीनतम *विश्व रोजगार और सामाजिक परिदृश्य (WESO) रिपोर्ट* जारी की, जिसमें वैश्विक श्रम बाजार में लगातार बनी असमानताओं को उजागर किया गया है।

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

- **वैश्विक बेरोजगारी**: 2026 में वैश्विक बेरोजगारी दर 4.9% रहने की संभावना है, जो 186 मिलियन लोगों के बराबर है।
  - हालाँकि, सम्मानजनक कार्य की दिशा में प्रगति ठहर गई है और लाखों लोगों को अब भी गुणवत्तापूर्ण, सुरक्षित रोजगार तक पहुँच नहीं है।
- **आर्थिक विकास के बावजूद स्थायी गरीबी**: लगभग 300 मिलियन श्रमिक अत्यधिक गरीबी में जीवन यापन करते हैं, जो प्रतिदिन US$3 से कम कमाते हैं।
  - अनौपचारिकता बढ़ रही है, 2026 तक लगभग 2.1 बिलियन श्रमिक को अनौपचारिक रोजगार करने की संभावनाएं है, जो मुख्यतः अफ्रीका और दक्षिण एशिया में केंद्रित हैं।
  - निम्न-आय वाले देशों को उच्च-मूल्य उद्योगों में परिवर्तन करने में गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उत्पादकता और रोजगार सुरक्षा सीमित हो रही है।
- **युवा रोजगार संकट गहराता हुआ**: 2025 में युवा बेरोजगारी 12.4% तक पहुँच गई।
  - लगभग 260 मिलियन युवा शिक्षा, रोजगार या प्रशिक्षण (NEET) में नहीं हैं, जो निम्न-आय वाले देशों में 27.9% की दर है।
  - AI और स्वचालन युवा रोजगार खोजने वालों के लिए चुनौतियों को और बढ़ाने की धमकी देते हैं, विशेषकर उच्च-आय वाले देशों में शिक्षित युवाओं के लिए।
- **स्थायी लैंगिक अंतर**: महिलाएँ वैश्विक रोजगार का केवल दो-पाँचवाँ हिस्सा (40%) हैं।
  - पुरुषों की तुलना में उनके श्रम बल में भाग लेने की संभावना 24% कम है।
  - सामाजिक मानदंडों और संरचनात्मक बाधाओं के कारण लैंगिक समानता की प्रगति रुक गई है।
- **जनसांख्यिकीय बदलाव श्रम बाजार को नया रूप दे रहे हैं**: समृद्ध देशों में वृद्ध होती जनसंख्या श्रम बल वृद्धि को धीमा कर रही है।
  - गरीब देशों में तीव्रता से बढ़ती जनसंख्या उत्पादक रोजगारों में परिवर्तित नहीं हो रही है।
  - 2026 के लिए अनुमानित रोजगार वृद्धि:
    - उच्च-मध्य-आय वाले देशों में 0.5%
    - निम्न-मध्य-आय वाले देशों में 1.8%
  - निम्न-आय वाले देशों में 3.1% गरीब क्षेत्रों में कमजोर श्रम उत्पादकता वैश्विक असमानताओं को बढ़ा रही है।

- **व्यापार अनिश्चितता रोजगार स्थिरता को खतरे में डालती है**: वैश्विक व्यापार व्यवधान और आपूर्ति श्रृंखला की बाधाएँ वेतन को कम कर रही हैं, विशेषकर एशिया एवं यूरोप में।
  - व्यापार विश्वभर में 465 मिलियन रोजगारों का समर्थन करता है, जिनमें से आधे से अधिक एशिया और प्रशांत क्षेत्र में हैं।
  - डिजिटल रूप से प्रदत्त सेवाएँ अब वैश्विक निर्यात का 14.5% भाग हैं।
  - व्यापार सम्मानजनक कार्य का एक शक्तिशाली चालक बना हुआ है, लेकिन क्षेत्रों को असमान रूप से लाभ पहुँचाता है।
- **क्षेत्रों के बीच असमानता बढ़ रही है**: उन्नत और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के बीच उत्पादकता अंतर गहरा रहा है।
  - कमजोर रोजगार सृजन और सीमित निवेश के कारण निम्न-आय वाले देश अपने जनसांख्यिकीय लाभांश से वंचित होने के जोखिम में हैं।
- **क्षेत्रीय श्रम बाजार विविधताएँ**: ILO का अनुमान है कि लैटिन अमेरिका और कैरेबियन मध्यम अवधि में बेरोजगारी दर को कम करना जारी रख सकते हैं, जबकि उत्तरी अमेरिका को बिगड़ती परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है।
  - व्यापक श्रम अल्प-उपयोग (रोजगार अंतर) 2026 में 408 मिलियन लोगों तक पहुँचने का अनुमान है, जो आधिकारिक आँकड़ों से परे व्यापक छिपी हुई बेरोजगारी एवं अधूरी रोजगार स्थिति को दर्शाता है।

ILO द्वारा प्रमुख नीतिगत अनुशंसाएँ

- उत्पादकता एवं रोजगार गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कौशल, शिक्षा और बुनियादी ढाँचे में निवेश।
- समावेशी भागीदारी एवं जिम्मेदार प्रौद्योगिकी अपनाने के माध्यम से लैंगिक और युवा अंतर को संबोधित करना।
- व्यापार और सम्मानजनक कार्य परिणामों को सुदृढ़ करना, यह सुनिश्चित करना कि वैश्विक लाभ समान रूप से साझा हों।
- ऋण, AI व्यवधान और व्यापार अस्थिरता से उत्पन्न जोखिमों को समन्वित वैश्विक और घरेलू नीतियों के माध्यम से कम करना।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के बारे में

- **स्थापना**: 1919; 1946 में प्रथम विशेषीकृत UN एजेंसी बना।
- **मुख्यालय**: जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड।
- **मंडेट**: कार्यस्थल पर अधिकारों को बढ़ावा देना, सम्मानजनक रोजगार अवसरों को प्रोत्साहित करना, सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाना और कार्य-संबंधी मुद्दों पर संवाद को सुदृढ़ करना।
- **त्रिपक्षीय संरचना**: सदस्य राज्यों की सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों को एक साथ लाता है।

ILO द्वारा प्रकाशित अन्य प्रमुख फ्लैगशिप रिपोर्टें

- वैश्विक वेतन रिपोर्ट
- युवाओं के लिए वैश्विक रोजगार प्रवृत्तियाँ
- सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट्स
- विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट

स्रोत: TH

दिल्ली 'कार्बन क्रेडिट्स' से राजस्व अर्जित करेगी

संदर्भ

- दिल्ली सरकार द्वारा घोषणा की है कि उसने **कार्बन क्रेडिट मौद्रीकरण** के लिए एक ढाँचे को स्वकृति प्रदान।
  - सरकार ने इस ढाँचे या इसके क्रियान्वयन की समयसीमा और प्रक्रिया के बारे में सार्वजनिक रूप से अधिक विवरण जारी नहीं किए हैं।

परिचय

- दिल्ली सरकार की गतिविधियाँ जैसे इलेक्ट्रिक बसों का संचालन, वृक्षारोपण अभियान, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना और अपशिष्ट प्रबंधन, नई नीति के अंतर्गत कार्बन क्रेडिट उत्पन्न करने के लिए उपयोग की जाएँगी।
  - इन पहलों के माध्यम से उत्सर्जन में कमी को वैज्ञानिक रूप से मापा जाएगा, कार्बन क्रेडिट के

रूप में पंजीकृत किया जाएगा और राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय कार्बन बाजारों में बेचा जाएगा ताकि राजस्व उत्पन्न हो सके।

- अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार दस्तावेज़ीकरण और पंजीकरण संभालने के लिए एक विशेष एजेंसी का चयन किया जाएगा।
  - यह मॉडल राजस्व-साझाकरण पर आधारित है, जिसमें सरकार को कोई अग्रिम लागत नहीं होगी।
  - सभी आय राज्य की समेकित निधि में जमा की जाएगी।
- दिल्ली इस तरह की नीति को स्वीकृति देने वाले राज्यों में अग्रणी है।
  - महाराष्ट्र ने चार-पाँच महीने पहले ऐसी ही एक नीति को स्वीकृति दी थी।
  - यह तंत्र सरकार को कार्बन उत्सर्जन कम करने वाली गतिविधियों में संलग्न होने के लिए प्रत्यक्ष वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करता है।

कार्बन बाजार

- कार्बन बाजार ऐसे व्यापारिक तंत्र हैं जिनमें कार्बन क्रेडिट खरीदे और बेचे जाते हैं।
- कंपनियाँ या व्यक्ति अपने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन की क्षतिपूर्ति करने के लिए उन संस्थाओं से कार्बन क्रेडिट खरीद सकते हैं जो ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम या समाप्त करती हैं।
- एक व्यापार योग्य कार्बन क्रेडिट एक टन कार्बन डाइऑक्साइड या किसी अन्य ग्रीनहाउस गैस की समकक्ष मात्रा को कम करने, अवशोषित करने या टालने के बराबर होता है।
- जब किसी क्रेडिट का उपयोग उत्सर्जन को कम करने, अवशोषित करने या टालने के लिए किया जाता है, तो वह एक *ऑफसेट* बन जाता है और अब व्यापार योग्य नहीं रहता।
- कार्बन बाजार दो प्रकार के होते हैं:
  - **अनुपालन बाजार** : ये किसी राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और/या अंतरराष्ट्रीय नीति या नियामक आवश्यकता के परिणामस्वरूप बनाए जाते हैं।
  - **स्वैच्छिक बाजार** : राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्बन क्रेडिट का स्वैच्छिक रूप से जारी करना, खरीदना और बेचना।

वैश्विक कार्बन मूल्य निर्धारण परिदृश्य में भारत की स्थिति

- भारत 2024 में *कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (CCTS)* को अपनाकर दर-आधारित उत्सर्जन व्यापार प्रणाली (Rate-based ETS) की ओर बढ़ रहा है।
  - दर-आधारित ETS वह प्रणाली है जिसमें कुल उत्सर्जन पर कोई सीमा नहीं होती, लेकिन व्यक्तिगत संस्थाओं को एक प्रदर्शन मानक दिया जाता है जो उनके शुद्ध उत्सर्जन पर सीमा के रूप में कार्य करता है।
- राष्ट्रीय ETS प्रारंभ में नौ ऊर्जा-गहन औद्योगिक क्षेत्रों को कवर करेगा।
- यह योजना उत्सर्जन की तीव्रता पर केंद्रित है, न कि कुल उत्सर्जन सीमा पर।
- मानक उत्सर्जन तीव्रता स्तरों से बेहतर प्रदर्शन करने वाली इकाइयों को *क्रेडिट प्रमाणपत्र* जारी किए जाएँगे।

Country	ETS Type	Coverage Sectors	Operational Status
India	Rate-based	9 industrial sectors	Regulatory stage
China	Rate-based	Power, cement, steel, aluminum	Operational
Brazil	Cap-based	All sectors except agriculture	Law passed in Dec 2024
Indonesia	Rate-based	Sectors expanded in 2024 to include Grid-connected coal/gas power plants	Operational

कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (CCTS)

- **इसमें दो प्रमुख तत्व शामिल हैं:**
- बाध्यकारी संस्थाओं (मुख्यतः औद्योगिक क्षेत्रों) के लिए अनुपालन तंत्र।
- स्वैच्छिक भागीदारी के लिए ऑफसेट तंत्र।
- CCTS का उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को डीकार्बोनाइज करने के प्रयासों में संस्थाओं को प्रोत्साहित और समर्थन करना है।
- CCTS ने संस्थागत ढाँचा स्थापित करके *भारतीय कार्बन बाजार (ICM)* की नींव रखी।

कार्बन बाजार तत्परता को सुदृढ़ करने के लिए सरकारी कदम

- COP 27 के दौरान उजागर किया गया कि भारत *सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारियाँ और संबंधित क्षमताएँ (CBDR-RC)* सिद्धांतों के माध्यम से अपने विकासात्मक आवश्यकताओं को कम कार्बन उत्सर्जन के साथ संतुलित करता है।
- भारत के प्रयासों में शामिल हैं:
  - *मिशन LiFE* और *ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम* ताकि सतत जीवनशैली को प्रोत्साहन दिया जा सके।
  - भारतीय कार्बन बाजार (NSCICM) के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) का गठन, जो विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत है।
  - निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए प्रोत्साहन।

निष्कर्ष

- जैसे-जैसे वैश्विक बाजार विकसित हो रहे हैं और CBAM जैसे उपकरण बाहरी दबाव उत्पन्न कर रहे हैं, भारत अपनी नीतियों को प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखने और जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संरेखित कर रहा है।
- कुल उत्सर्जन सीमा की बजाय उत्सर्जन तीव्रता पर ध्यान केंद्रित करके, भारत की दर-आधारित ETS विकास और डीकार्बोनाइजेशन के बीच संतुलन बनाने वाली अर्थव्यवस्था के लिए एक व्यावहारिक एवं लचीला मार्ग प्रदान करती है।

स्रोत: IE

भारत की स्थिति : भावी समुद्री और अंतरिक्ष जैव-प्रौद्योगिकी

समाचार में

- **भावी अंतरिक्ष और समुद्री जैव-प्रौद्योगिकी अनुसंधान** डीप ओशन एवं बाहरी अंतरिक्ष जैसे कम खोजे गए वातावरण का उपयोग करके नए जैविक ज्ञान, सामग्री और विनिर्माण प्रक्रियाओं को विकसित करने पर केंद्रित है।

समुद्री जैव-प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष जैव-प्रौद्योगिकी क्या हैं?

- **समुद्री जैव-प्रौद्योगिकी**: इसमें सूक्ष्मजीवों, शैवाल और अन्य समुद्री जीवन का अध्ययन शामिल है ताकि जैव सक्रिय यौगिकों, एंजाइमों, जैव-सामग्रियों, खाद्य अवयवों एवं जैव-उत्तेजकों की खोज की जा सके।
  - ये जीव उच्च दबाव, लवणता, कम प्रकाश और पोषक तत्वों की कमी जैसी परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए विकसित हुए हैं, जिससे वे औद्योगिक एवं जलवायु-लचीले अनुप्रयोगों के लिए मूल्यवान बनते हैं।
- **अंतरिक्ष जैव-प्रौद्योगिकी**: यह अध्ययन करती है कि सूक्ष्मजीव, पौधे और मानव जैविक प्रणालियाँ सूक्ष्म-गुरुत्वाकर्षण और विकिरण के तहत कैसे व्यवहार करती हैं।
  - इसमें खाद्य, सामग्री और जीवन-समर्थन प्रणालियों के लिए सूक्ष्मजीव जैव-निर्माण शामिल है, साथ ही अंतरिक्ष यात्रियों के माइक्रोबायोम पर शोध भी, ताकि दीर्घकालिक मिशनों के लिए स्वास्थ्य और प्रोबायोटिक हस्तक्षेप विकसित किए जा सकें।

विश्वभर में प्रगति

- **यूरोपीय संघ** समुद्री जैव-खोज, शैवाल-आधारित जैव-सामग्रियों और जैव सक्रिय यौगिकों पर बड़े पैमाने के कार्यक्रमों को वित्तपोषित करता है, जिन्हें *यूरोपीय समुद्री जैविक संसाधन केंद्र* जैसी साझा अनुसंधान अवसंरचना का समर्थन प्राप्त है।

- **चीन** ने समुद्री शैवाल कृषि और समुद्री जैव-प्रसंस्करण का तीव्र से विस्तार किया है, जिसमें डीप ओशन की खोज को खाद्य, औषधि एवं जैव-सामग्रियों में औद्योगिक अनुप्रयोगों के साथ एकीकृत किया गया है।
  - **संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया** जैसे अन्य समुद्री संसाधन संपन्न देश भी समुद्री जैव-प्रौद्योगिकी पहलों का समर्थन करते हैं।
- अंतरिक्ष जैव-प्रौद्योगिकी में, **अमेरिका** NASA और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के माध्यम से अग्रणी है, जहाँ सूक्ष्मजीव व्यवहार, प्रोटीन क्रिस्टलीकरण, स्टेम कोशिकाओं एवं बंद-लूप जीवन-समर्थन प्रणालियों पर शोध दवा खोज, पुनर्योजी चिकित्सा तथा दीर्घकालिक मानव मिशनों को सूचित करता है।
- **यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, चीन का तियांगोंग कार्यक्रम और जापान का JAXA** सूक्ष्म-गुरुत्वाकर्षण में पौधों की वृद्धि, माइक्रोबायोम एवं जैव-सामग्री उत्पादन पर प्रयोग करते हैं।

भारत के लिए महत्व

- भारत की 11,000 किमी लंबी तटरेखा और 20 लाख वर्ग किमी का विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) समृद्ध समुद्री जैव विविधता तक पहुँच प्रदान करता है, लेकिन वैश्विक समुद्री उत्पादन में देश की हिस्सेदारी कम बनी हुई है।
  - इसलिए, समुद्री जैव-निर्माण में निवेश खाद्य, ऊर्जा, रसायन और जैव-सामग्रियों के नए स्रोत खोल सकता है, साथ ही भूमि, स्वच्छ जल एवं कृषि पर दबाव कम कर सकता है।
- अंतरिक्ष जैव-प्रौद्योगिकी भारत की दीर्घकालिक अंतरिक्ष अन्वेषण महत्वाकांक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जो सुरक्षित खाद्य उत्पादन, मानव स्वास्थ्य प्रबंधन और चरम वातावरण में जैविक विनिर्माण को सक्षम बनाती है।
- साथ मिलकर, भावी समुद्री और अंतरिक्ष जैव-प्रौद्योगिकी भारत की जैव-अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर सकती है, रणनीतिक स्वायत्तता को बढ़ा सकती है तथा भारत को आगामी पीढ़ी के जैव-निर्माण में अग्रणी के रूप में स्थापित कर सकती है।

वर्तमान स्थिति

- भारत का घरेलू समुद्री बायोमास उत्पादन, जैसे समुद्री शैवाल, अभी भी सामान्य है, जिसकी वार्षिक खेती लगभग 70,000 टन है।
- परिणामस्वरूप, भारत खाद्य, औषधि, सौंदर्य प्रसाधन और चिकित्सा अनुप्रयोगों में उपयोग के लिए *अगर, कैरेजेनन एवं एल्जिनेट्स* जैसे समुद्री शैवाल-व्युत्पन्न घटकों का आयात जारी रखता है।
  - *ब्लू इकोनॉमी एजेंडा, डीप ओशन मिशन* और हाल ही में *BioE3* के अंतर्गत लक्षित पहलें इस क्षेत्र को एकीकृत समुद्री जैव-निर्माण की ओर धकेल रही हैं, जो खेती, निष्कर्षण और डाउनस्ट्रीम अनुप्रयोगों को जोड़ती हैं।
  - कुछ निजी खिलाड़ी समुद्री बायोमास को उच्च-मूल्य अवयवों और जैव-आधारित उत्पादों में बदलने के मार्ग खोज रहे हैं।
- अंतरिक्ष जैव-प्रौद्योगिकी में, **ISRO का सूक्ष्म-गुरुत्वाकर्षण जीवविज्ञान कार्यक्रम** सूक्ष्मजीवों, शैवाल और जैविक प्रणालियों पर प्रयोग कर रहा है ताकि अंतरिक्ष में खाद्य उत्पादन, जीवन-समर्थन पुनर्जनन और मानव स्वास्थ्य का अध्ययन किया जा सके।
- सूक्ष्मजीव व्यवहार और अंतरिक्ष यात्रियों के माइक्रोबायोम पर शोध प्रासंगिकता प्राप्त कर रहा है क्योंकि भारत दीर्घकालिक मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशनों की तैयारी कर रहा है।

चुनौतियाँ

- समुद्री और अंतरिक्ष जैव-प्रौद्योगिकी अपेक्षाकृत अन्वेषित सीमाएँ बनी हुई हैं, जहाँ शुरुआती कदम उठाने वाले स्थायी रणनीतिक और तकनीकी लाभ प्राप्त करने की संभावना रखते हैं।
- मुख्य जोखिम अनुसंधान और विकास में धीमी एवं खंडित प्रगति में निहित है।
- निजी क्षेत्र की भागीदारी सीमित है क्योंकि ये तकनीकें अभी प्रारंभिक अवस्था में हैं।

सुझाव और आगे की राह

- भारत की समृद्ध और विविध समुद्री पारिस्थितिकी इसे समुद्री जैव-प्रौद्योगिकी में अग्रणी बनने के लिए अच्छी स्थिति में रखती है।
- एक अंतरिक्ष-गामी राष्ट्र के रूप में भारत की महत्वाकांक्षाएँ ऐसी जैविक तकनीकों के विकास की माँग करती हैं जो भारतीय जनसंख्या की आनुवंशिक, पोषण एवं स्वास्थ्य प्रोफाइल को ध्यान में रखें, न कि केवल बाहरी रूप से विकसित समाधानों पर निर्भर रहें।
- एक समर्पित रोडमैप जो समुद्री और अंतरिक्ष जैव-प्रौद्योगिकी के लिए समयसीमा एवं परिणामों को परिभाषित करता है, निवेशों को संरेखित करने, संस्थानों का समन्वय करने और संसाधनों को अधिक प्रभावी ढंग से चैनल करने में सहायता करेगा।

स्रोत :TH

संक्षिप्त समाचार

काशी-तमिल संगम

संदर्भ

- प्रधानमंत्री मोदी ने काशी-तमिल संगम की सराहना की, जो सांस्कृतिक समझ को बेहतर करने, शैक्षणिक और जन-से-जन आदान-प्रदान को बढ़ावा देने तथा स्थायी संबंध बनाने में सहायक है।

काशी-तमिल संगम

- **आयोजक**: शिक्षा मंत्रालय
- **प्रारंभ**: 2022
- **काशी तमिल संगम 4.0**: 2 दिसंबर 2025 को प्रारंभ हुआ, जो तमिलनाडु और काशी के बीच सांस्कृतिक एवं सभ्यतागत संबंध को आगे बढ़ाता है।
- **विश्वविद्यालय**: IIT मद्रास और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU)
- **उद्देश्य**: तमिलनाडु और काशी के प्राचीन संबंधों को पुनः खोजने, पुनः पुष्टि करने और उत्सव मनाने का अवसर।
  - यह NEP 2020 के उस दृष्टिकोण के अनुरूप है जिसमें भारतीय ज्ञान प्रणालियों को आधुनिक ज्ञान प्रणालियों के साथ एकीकृत करने पर बल दिया गया है।
  - यह विद्वानों, छात्रों, दार्शनिकों और कलाकारों को दोनों क्षेत्रों से अपने ज्ञान साझा करने का अवसर प्रदान करता है।
  - युवाओं को सांस्कृतिक एकता का अनुभव कराने और जागरूक बनाने का भी लक्ष्य है।
- काशी और चेन्नई दोनों को यूनेस्को द्वारा 'क्रिएटिव सिटीज ऑफ म्यूज़िक' के रूप में मान्यता दी गई है।

स्रोत: TH

निर्यात तैयारी सूचकांक (EPI) 2024

संदर्भ

- नीति आयोग ने *निर्यात तैयारी सूचकांक (EPI) 2024* जारी किया।

परिचय

- यह भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निर्यात तत्परता का व्यापक आकलन है।
- EPI का प्रथम संस्करण 2020 में प्रकाशित हुआ था और यह चौथा संस्करण है।
- EPI उप-राष्ट्रीय निर्यात पारिस्थितिक तंत्र की ताकत, लचीलापन और समावेशिता का मूल्यांकन करने के लिए साक्ष्य-आधारित ढाँचा प्रदान करता है।

Pillars of Export Preparedness Index (EPI) 2024

Export Infrastructure	Business Ecosystem	Policy & Governance	Export Performance
Trade & Logistics Infrastructure	Access to Finance	State Export Policy	Export Outcomes
Connectivity & Utilities	Human Capital	Institutional Capacity	Export Diversification
Industrial Infrastructure	MSME Ecosystem	Trade Facilitation	Global Integration

- **शीर्ष प्रदर्शनकर्ता:** 2024 में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश बड़े राज्यों में अग्रणी प्रदर्शनकर्ता रहे।

- उत्तराखंड, जम्मू एवं कश्मीर, नागालैंड, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव, और गोवा छोटे राज्यों, पूर्वोत्तर राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में अग्रणी प्रदर्शनकर्ता सूचीबद्ध हैं।

स्रोत: AIR

जातिया देवी

समाचार में

- हाल ही में, *जातिया देवी* को एक महत्वाकांक्षी शहरी विकास परियोजना के लिए चिन्हित किया गया है, जिसे हिमाचल प्रदेश हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी (HIMUDA) द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा।

परिचय

- जातिया देवी शिमला शहर से लगभग 14 किमी दूर स्थित है और इसका नाम क्षेत्र में स्थित एक प्राचीन जातिया देवी मंदिर से लिया गया है।
- इस परियोजना की परिकल्पना एक नियोजित उपग्रह पर्वतीय नगर के रूप में की गई है, ताकि शिमला पर दबाव कम हो, नए आर्थिक केंद्र बनाए जा सकें और सतत, आपदा-प्रतिरोधी शहरी विकास को बढ़ावा दिया जा सके।

चिंताएँ

- *सामाजिक प्रभाव आकलन (SIA)* संभावित विस्थापन और मंदिरों, स्कूलों, दुकानों, नहरों एवं घरों जैसी संपत्तियों की हानि को स्वीकार करता है।
- लेकिन यह रोजगार, बेहतर सेवाएँ, आर्थिक एकीकरण, कौशल विकास और पर्यावरणीय स्थिरता जैसे लाभों को भी रेखांकित करता है।

स्रोत: IE

कुकी-जो(Kuki-Zo) परिषद और केंद्र शासित प्रदेश की मांग

संदर्भ

- कुकी-जो परिषद (KZC), जो कुकी-जो लोगों का सर्वोच्च नागरिक निकाय है, ने मणिपुर में कुकी-जो जनजातियों के लिए केंद्र शासित प्रदेश बनाने की अपनी मांग दोहराई है।

पृष्ठभूमि

- मई 2023 में एक जातीय संघर्ष भड़का था, जिसमें:
  - **मैतेई समुदाय**, जो मुख्य रूप से इंफाल घाटी में निवास करता है, और
  - **कुकी-जो समुदाय**, जो मुख्यतः आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में रहता है।
- यह संघर्ष मैतेई समुदाय की अनुसूचित जनजाति (ST) दर्जे की मांग से उत्पन्न हुआ, जिसका कुकी-जो समूहों ने भूमि अधिकारों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर चिंताओं के कारण विरोध किया। कुकी-जो परिषद (KZC) का गठन अक्टूबर 2024 में हुआ, लगभग 18 महीने की हिंसा (2023–2025) के बाद, जिसके दौरान कुकी-जो समुदाय ने पक्षपात का आरोप लगाया।

कु की-जो समूह कौन हैं?

- कुकी-जो लोग एक जातीय समुदाय हैं जो मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैंड, असम और म्यांमार में फैले हुए हैं।
- वे म्यांमार और मिज़ोरम के अन्य चिन–मिज़ो समूहों के साथ घनिष्ठ जातीय एवं सांस्कृतिक संबंध साझा करते हैं।
- 1980–90 के दशक से कई कुकी-जो उग्रवादी समूह उभरे हैं, जो मुख्य रूप से मांग करते हैं:
  - अधिक स्वायत्तता और आत्मनिर्णय,
  - जनजातीय भूमि और अधिकारों की सुरक्षा, और
  - कुछ मामलों में अलग राज्य का दर्जा।

स्रोत: TH

कुरिंजी राजकुमार

समाचार में

- जी. राजकुमार, एक पूर्व बैंक कर्मचारी और पर्यावरणविद् जिन्हें "कुरिंजी राजकुमार" के नाम से जाना जाता था, का निधन तिरुवनंतपुरम में हुआ।

नीलकुरिंजी

- यह एक बैंगनी रंग का पुष्पीय झाड़ीदार पौधा है, जो पश्चिमी घाट और हिमालयी पहाड़ियों में प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार खिलता है।
  - कहा जाता है कि नीलगिरि का नाम इन अद्भुत फूलों द्वारा उत्पन्न जादुई नीले रंग की आभा से पड़ा।
- यह एक स्थानिक झाड़ी प्रजाति है, जो केवल दक्षिण-पश्चिम भारत के प्राकृतिक उच्च-ऊँचाई वाले घास के मैदानों में पाई जाती है, जिसकी ऊँचाई 1,340 से 2,600 मीटर तक होती है।
- यह मुख्य रूप से दक्षिण भारत (कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु) के पश्चिमी घाट एवं नीलगिरि पहाड़ियों की घाटियों में पाया जाता है।
- इसे हाल ही में *IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज़* (2024) में आंका गया और *सुभेद्य* सूचीबद्ध किया गया, जिससे इसके संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया गया।

"कु रिंजी राजकुमार" के प्रमुख योगदान

- वे *सेव कुरिंजी अभियान* के पीछे प्रेरक शक्ति थे, जिसने नीलकुरिंजी(स्ट्रोबिलैन्थेस कुंथियाना) और उसके संवेदनशील घासभूमि पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- उनकी प्रतिबद्धता 1982 में सामूहिक पुष्पन देखने के बाद शुरू हुई, जिसने उन्हें ट्रेक और जागरूकता प्रयासों की ओर प्रेरित किया, जो बाद में एक बड़े पर्यावरणीय आंदोलन में विकसित हुआ।
- बाद में उन्होंने मुनार क्षेत्र में अभियानों पर ध्यान केंद्रित किया, जो अंततः 2006 में 32 वर्ग किमी नीलकुरिंजी अभयारण्य की स्थापना में परिणत हुआ, जिससे उनका आजीवन सपना पूरा हुआ।

स्रोत: TH

■■■■